न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 ३४२ /2022 तारीख रजू : 1/12/22

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/7115

उनवान

खेलनी पत्नी जितेन्द्र जाति मीना निवासी रीठौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

---सायलान 04

बनाम

रामफल पुत्र मांग्या जाति मीना निवासी रीठौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---गैरसायल–04

दिनांक 1/12/22

फर्द अहकाम

आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री बिजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत मदाखलत नहीं करने, रहनव्यय नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 78 वाके ग्राम रीठौली तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को पेश हों।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

22/12/22 पत्रावली पेश हुई। [illegible] सायल उपस्थित। सायल ने [illegible] में अवगत कराया कि [illegible] वकील [illegible] चाहते हैं। अतः मु0 नं0 282/22 [illegible] बनाम रामफल की [illegible] में [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] हमारे [illegible] में कम [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

[illegible] विजेन्द्र सिंह एड.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Harsolia
Date: 2023.02.15 17:26:31 IST
Reason: SelfAttested